महत्वपूर्ण

संख्या- 1894/77-1-2023-77-1002(099)/1/2023

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0,
उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0,
उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0,
उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 05 दिसम्बर, 2023

विषय:- टैक्सफेड समूह की बन्द पडी कताई मिलो की भूमि के औद्योगिक प्रयोग हेतु देनदारियों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु इन्वेस्टर्स समिट तथा ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश एवं विदेश के उद्यमियों को आकर्षित करने के प्रयास लगातार किये जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी विगत वर्षों में सामने आयें हैं। विभिन्न सेक्टरों के उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के संबंध में एम0ओ0यू0 किये गये हैं। इन इकाईयों की स्थापना हेतु प्रमुखत: भूमि एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भूमि की उक्त मांग को पूर्ण किये जाने हेतु औद्योगिक विकास विभाग के स्तर पर लैण्ड बैंक को बढाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2- अवगत कराना है कि टैक्सफेड समूह के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0; उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0; उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, एवं उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्ष 1969 से 1985 के मध्य कताई मिलों की स्थापना की गई थी। उक्त कताई मिलों के माध्यम से संबंधित जनपदों में पर्याप्त संख्या में रोजगार का सृजन हुआ। कालान्तर में वस्त्र उद्योग सेक्टर में भारी मन्दी तथा अन्य कारणों यथा- पुरानी तकनीकी, विपरीत बाजारीय परिस्थितियां, उच्चतम मजदूरी दर आदि के कारण उक्त समस्त कताई मिलें शनै-शनै रूग्ण होकर वर्ष 2000 से 2017 के मध्य बन्द हो गयीं। वर्तमान में समस्त कताई मिलें पूर्णरूपेण बन्द हैं तथा सभी मिलों के समस्त कर्मचारियों को वीआरएस का हितलाभ देकर सेवानिवृत्त किया जा चुका है।

3- इस संबंध में प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर के पत्र संख्या- 74/एसटीसी/लेखा/2023 दिनांक 24.08.2023, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0; कानपुर के पत्र संख्या-212/एसवाईसी/वित्त/2023 दिनांक 24.08.2023 एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर के पत्र संख्या- 1012/एसएमएफ/2023-24 दिनांक 24.08.2023 द्वारा उक्त तीनों कम्पनियों की भूमि देनदारियों आदि का मदवार विस्तृत

विवरण सहित आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उक्त कताई मिलें, जनपदों के आवागमन सुलभ स्थलों पर स्थापित हैं तथा इनकी निष्प्रयोज्य भूमि का प्रयोग नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु किया जा सकता है। उक्त भूमि राज्य सरकार को इकाईयों पर देनदारियों के चुकता करने के पश्चात सुलभ हो सकेगी। उक्त इकाईयों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर के अधीन 03 कताई मिले क्रमशः सण्डीला, झांसी एवं मेरठ में स्थापित हैं। तीनों कताई मिलों में वर्ष 2001 से विधिक बन्दी घोषित है। उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर की दिनांक 31.03.2023 तक की कुल अनुमानित देनदारी रू0-885.40 करोड है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	इकाईवार देयताएं				कुल देनदारियां
		मुख्यालय	मेरठ	सण्डीला	झांसी	
(अ)	शासकीय देनदारियां					
	शेयर पूंजी	160.79	-	-	-	160.79
	शेयर अप्लीकेशन मनी	36.31	-	-	-	36.31
	शासकीय ऋण (मूल धनराशि)	92.86	-	-	-	92.86
	शासकीय ऋण पर ब्याज	134.72	-	-	-	134.72
	व्यापार कर आस्थगन (मूल धनराशि)	0.33	3.83	2.20	0.79	7.15
	योग शासकीय देनदारियां	425.01	3.83	2.20	0.79	431.83
(ब)	शासकीय संस्थाओ की देयताएं					
	नोएडा (मूल धनराशि)	7.50	-	-	-	7.50
	नोएडा (ब्याज)	31.44	-	-	-	31.44
	यूपीएसआईडीसी (मूल धनराशि)	1.25	-	-	-	1.25
	यूपीएसआईडीसी (ब्याज)	5.23	-	-	-	5.23
	यूपीएसएससी (मूल धनराशि)	4.59	-	-	-	4.59
	यूपीएसएससी (ब्याज)	16.97	-	-	-	16.97
	यूपीएसवाईसी (मूल धनराशि)	0.10	-	-	-	0.10
	यूपीएसवाईसी (ब्याज)	0.41	-	-	-	0.41
	यूपीएसईबी - बिजली बकाया	-	0.48	0.41	0.91	1.80

	नगर निगम (बकाया टैक्स)	11.37	1.11	-	-	12.48
	योग शासकीय संस्थाओ की देयताएं	78.86	1.59	0.41	0.91	81.77
(स)	**बैंको की देयतायें**					
	मूल धनराशि	0.30	7.57	6.93	6.60	21.40
	ब्याज (डीआरटी एवं डीआरएटी के आदेशानुसार)	0.83 (साधारण ब्याज दर 12%)	20.40 (साधारण ब्याज दर 12%)	220.41 (चक्रवृद्धि ब्याज दर त्रैमासिक 16%)	17.77 (साधारण ब्याज दर 12%)	259.41
	योग बैंको की देयतायें	1.13	27.97	227.34	24.37	280.81
(द)	**अन्य देनदारियां**					
	कर्मचारियों की मूल बकाया राशि	1.01	5.07	4.08	5.98	16.14
	ई.पी.एफ. पर ब्याज एवं डैमरेज राशि (अनुमानित)	0.78	4.85	2.10	3.97	11.70
	ई.एस.आई. पर ब्याज एवं डैमरेज राशि (अनुमानित)	-	1.72	0.62	1.73	4.07
	विभिन्न क्रेडिटर्स	1.36	2.69	5.07	3.76	12.88
	अन्य देनदारियां	0.48	0.82	0.90	0.54	2.74
	योग अन्य देनदारियां	3.63	15.15	12.77	15.98	47.53
	कुल योग (अ + ब + स + द)	**508.63**	**48.54**	**242.72**	**42.05**	**841.94**

विधिक मामलों पर देयतायें:-

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम के खिलाफ विधिक मामलों के कारण भविष्य में लगभग रू0 43.46 करोड की देनदारी उत्पन्न हो सकती हैं।

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम के मुख्यालय एवं कताई मिलों में उपलब्ध भूमि का विवरण :-

क्रमांक	मिल का नाम	मिल की कुल भूमि (एकड में)	भूमि किस अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त है
1	झांसी (ग्वालियर रोड)	76.69	गर्वनमेंट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त
2	सण्डीला (हरदोई)	54.52	यू.पी.एस.आई.डी.सी. से लीज पर प्राप्त
3	मेरठ (इण्डस्ट्रियल एरिया परतापुर)	89.68	गर्वनमेंट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त
4	मुख्यालय भवन कानपुर	0.91	निगम द्वारा क्रय से प्राप्त
	योग	**221.80**	

वर्तमान में निगम की तीनों इकाईयां तथा मुख्यालय ओ.ए. संख्या- 161/2000 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2018, ओ.ए. संख्या- 123/2000 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2018 एवं मा0 डीआरएटी द्वारा अपील संख्या- 135/2018 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2019 के क्रम में मुख्यालय, झांसी एवं सण्डीला इकाई मा0 डीआरटी से अटैच है तथा मेरठ इकाई भविष्य निधि अंशदान का भुगतान न होने के कारण भविष्य निधि संगठन द्वारा अटैच की गई है। उ0प्र0

राज्य वस्त्र निगम लि0 की समस्त इकाईयों की भूमि का वर्तमान मूल्य लगभग रू0-1966.82 करोड है।

उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर

उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर के अधीन 04 कताई मिले क्रमश: मेजा (प्रयागराज), बांदा, रसडा (बलिया) एवं जौनपुर हैं, जिसमें से जौनपुर स्थित कताई मिल की परिसम्पत्तियों का गठित एसेट सेल कमेटी द्वारा निस्तारण करते हुए सम्पूर्ण भूमि 50.04 एकड चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या- 147, दिनांक 28.02.2014 द्वारा हस्तान्तरित की जा चुकी है, किन्तु जौनपुर इकाई के शासकीय देयता का अपलेखन एवं अन्य देयता के भुगतान हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वर्तमान में तीन इकाईयां मेजा (प्रयागराज), बांदा एवं रसडा (बलिया) में वर्ष 2000 से विधिक बन्दी घोषित है और मुख्यालय सहित समस्त कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत वीआरएस का लाभ देकर सेवानिवृत्त किया जा चुका है। स्केलटन स्टाफ के रूप में शासन द्वारा अनुमोदित 02, एक नियमित एवं 04 बाहय सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से नियोजित कर कंपनी के दैनिक कार्यों का निष्पादन सम्पन्न किया जा रहा है।

उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0, कानपुर की दिनांक 31.03.2023 तक की कुल अनुमानित देनदारी रू0-272.86 करोड है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	इकाईवार देयताएं				कुल देनदारियां
		मेजा (प्रयागराज)	बांदा	रसडा (बलिया)	जौनपुर	
(अ)	शासकीय देनदारियां					
	शेयर पूंजी	7.85	8.58	8.35	7.13	31.91
	शेयर अप्लीकेशन मनी	5.44	5.44	5.44	5.44	21.76
	शासकीय ऋण (ब्याज रहित)	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00
	शासकीय ऋण (ब्याज सहित) मूलधन	3.51	3.51	3.51	8.61	19.14
	शासकीय ऋण (ब्याज सहित) पर ब्याज	2.27	2.27	2.27	12.85	19.66
	व्यापार कर आस्थगन (मूल धनराशि)	-	-	-	10.03	10.03
	योग शासकीय देनदारियां	32.07	32.80	32.57	57.06	154.50
(ब)	शासकीय संस्थाओ की देयताएं					
	यूपीएसटीसी (मूल धनराशि)	0.37	0.37	0.38	0.38	1.50
	यूपीएसटीसी (ब्याज)	1.53	1.53	1.54	1.54	6.14

	यूपीएसईबी - बिजली बकाया	0.49	0.74	2.60	0.53	4.36
	योग शासकीय संस्थाओ की देयताएं	2.39	2.64	4.52	2.45	12.00
(स)	**बाण्डधारकों की देयतायें**					
	मूल धनराशि	3.10	3.11	3.11	3.11	12.43
	ब्याज	7.66	7.68	7.68	7.68	30.70
	योग बाण्डधारकों की देयतायें	10.76	10.79	10.79	10.79	43.13
(द)	**अन्य देनदारियां**					
	कर्मचारियों की मूल बकाया राशि	0.97	0.92	0.73	0.57	3.19
	ई.पी.एफ. पर ब्याज एवं डैमरेज राशि (अनुमानित)	0.43	0.12	0.08	0.15	0.78
	आयकर की देयता	0.65	0.65	0.65	0.65	2.60
	आपूर्तिकर्ता / विभिन्न क्रेडिटर्स	1.92	1.94	1.97	1.46	7.29
	अन्य देनदारियां	0.24	0.21	0.19	0.03	0.67
	कार्मिकों की विवादित देयता	15.85	17.29	15.56	-	48.70
	योग अन्य देनदारियां	20.06	21.13	19.18	2.86	63.23
	कुल योग (अ + ब + स + द)	**65.28**	**67.36**	**67.06**	**73.16**	**272.86**

उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0 के मुख्यालय एवं कताई मिलों में उपलब्ध भूमि का विवरण :-

क्रमांक	**मिल का नाम**	**मिल की कुल भूमि (एकड में)**	**भूमि किस अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त है**
1	मेजा (प्रयागराज)	175.00	गर्वनमेंट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त
2	बांदा	90.00	गर्वनमेंट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त
3	रसडा (बलिया)	57.00	गर्वनमेंट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त
	योग	**322.00**	

वर्तमान में उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0 की तीनों इकाईयों की भूमि किसी भी संस्था के साथ बन्धक अथवा अटैच नहीं हैं। उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0 की समस्त इकाईयों की भूमि का वर्तमान मूल्य लगभग रू0-949.36 करोड है।

<u>उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर</u>

उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर के अधीन 11 मिले जो वर्तमान में पूर्णरूप से बन्द हैं। संघ के सभी कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत वीआरएस का लाभ देकर सेवानिवृत्त किया जा चुका है। उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की दिनांक 31.03.2023 तक की कुल अनुमानित देनदारी रू0-1376.69 करोड है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	विवरण	इकाईवार देयताएं												कुल देनदारियां
		अमरोहा	बहादुरगंज	बहेड़ी	बुलन्द शहर	इटावा	फतेहपुर	कम्पिल	मगहर	मऊ आइमा	नजीबा	सीतापुर	फेडरेशन	
(अ)	शासकीय देनदारियां													
	शेयर पूंजी	18.82	17.96	31.00	16.21	16.34	20.32	15.77	12.11	31.47	13.74	15.53	-	209.27
	शासकीय ऋण (ब्याज रहित)	25.33	27.88	27.06	10.30	11.64	29.20	10.92	15.00	35.33	11.50	8.16	-	212.32
	शासकीय ऋण (ब्याज सहित)	5.17	5.73	5.55	1.87	2.17	10.34	2.01	2.90	7.36	2.14	1.37	-	46.61
	शासकीय ऋण पर ब्याज	1.85	2.06	1.99	0.68	0.78	3.71	.72	1.04	2.64	0.76	0.49	-	16.72
	व्यापार कर आस्थगन (मूल धनराशि)	1.59	1.50	2.71	0.26	0.10	2.36	0.53	0.07	3.79	0.24	0.28	-	13.43
	व्यापार कर आस्थगन (ब्याज)	1.39	3.00	5.44	0.52	0.20	4.72	1.07	0.14	7.60	0.45	0.56	-	25.09
	योग शासकीय देनदारियां	**54.15**	**58.13**	**73.75**	**29.84**	**31.23**	**70.65**	**31.02**	**31.26**	**88.19**	**28.83**	**26.39**	**-**	**523.44**
(ब)	शासकीय संस्थाओ की देयताएं													
	यूपीएसआईडीसी (मूल धनराशि)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	---	---	0.50	0.50	-	-	-	3.50
	यूपीएसआईडीसी (ब्याज)	2.84	2.84	2.84	2.84	2.83	---	---	2.83	2.83	-	-	-	10.85
	राष्ट्रीय सहकारी विकास ऋण (मूल धनराशि)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30	1.30
	नोएडा (मूल धनराशि)	-	0.25	0.31	0.25	-	-	-	0.11	0.04	0.01	0.25	-	1.22
	नोएडा/एनसीडीसी (ब्याज)	-	0.80	1.06	0.81	-	-	-	0.32	0.10	0.04	0.84	-	3.97
	यूपीएसईबी बिजली बकाया	5.21	2.20	0.85	1.06	2.06	9.03	1.42	2.02	3.49	0.10	0.27	-	27.71
	यूपीएसईबी बिजली बकाया पर ब्याज	7.99	6.14	4.93	0.20	4.82	10.94	2.65	4.72	3.70	3.69	0.63	-	50.41
	अन्य को शेयर कैपिटल	0.12	0.01	0.01	0.42	-	-	0.01	-	-	0.22	0.09	-	0.88
	योग शासकीय संस्थाओ की देयताएं	**16.66**	**12.74**	**10.50**	**6.08**	**10.21**	**19.97**	**04.08**	**10.50**	**10.66**	**4.06**	**2.08**	**1.30**	**108.84**
(स)	बैंकों की देयतायें													
	ब्याज सहित देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.45	165.45
	योग बैंको की देयतायें	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**165.45**	**165.45**
(द)	बाण्ड होल्डर्स की देयताएं													
	डिबेन्चर बाण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.62	36.62
	ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.68	90.68
	योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**127.30**	**127.30**
(य)	अन्य देनदारियां													
	कर्मचारियों की मूल बकाया राशि	7.61	8.20	7.40	1.93	-	6.71	3.44	0.99	10.68	2.26	3.65	-	52.87
	न्यायालय में लम्बित कर्मचारियों की देयताएं	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	10.00
	ई.पी.एफ. पर ब्याज एवं डैमेज राशि (अनुमानित)	14.10	13.12	16.95	9.30	4.56	11.69	8.58	9.93	17.25	4.61	4.01	-	114.10
	विभिन्न क्रेडिटर्स	32.36	16.11	27.12	27.61	20.84	25.46	17.34	11.91	43.69	38.39	13.86	-	274.69
	योग अन्य देनदारियां	**55.07**	**38.43**	**52.47**	**39.84**	**25.40**	**44.86**	**30.36**	**23.83**	**72.62**	**46.26**	**22.52**	**-**	**451.66**
	कुल योग (अ + ब + स + द)	**125.88**	**109.30**	**136.72**	**75.76**	**66.84**	**135.48**	**65.46**	**65.59**	**171.47**	**79.15**	**50.99**	**294.05**	**1376.69**

उपरोक्त देयताओं के निस्तारण के बाद सहकारी कताई मिल्स संघ की निम्नवत् मिलों में निम्नलिखित भूमि प्रदेश हेतु लैण्ड बैंक हेतु उपलब्ध हो सकेगी:-

उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर के कताई मिलों में उपलब्ध भूमि का विवरण:-

क्रमांक	मिल का नाम	मिल की कुल भूमि (एकड़ में)	भूमि किस अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त है
1	अमरोहा (अमरोहा)	80.71	काश्तकारों से अधिग्रहीत की गयी है।
2	बहेड़ी (बरेली)	79.61	तदैव
3	मऊआईमा (प्रयागराज)	85.24	तदैव
4	बहादुरगंज (गाजीपुर)	78.92	तदैव
5	फतेहपुर (फतेहपुर)	55.31	तदैव
6	महमूदाबाद (सीतापुर)	71.02	तदैव
7	नगीना (बिजनौर)	53.02	तदैव
8	मगहर (संत कबीर नगर)	40.94	तदैव
9	बुलन्दशहर (बुलन्दशहर)	78.56	तदैव
10	कम्पिल (फर्रूखाबाद)	82.15	तदैव
11	इटावा (इटावा)	-	उ0प्र0 आवास विकास को भौतिक कब्जा दिया जा चुका है।
	योग	**705.48**	

उपरोक्त सहकारी कताई मिल्स संघ के मिलें सूट संख्या-2792/2000 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मुम्बई द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2006 के अनुपालन में यूपी कोआपरेटिव एक्ट-1965 के अन्तर्गत परिसमापनाधीन है। समस्त मिलों के परिसमापक संबंधित जिलों के जिलाधिकारी हैं। उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की 10 इकाईयों की भूमि का वर्तमान मूल्य लगभग रू0-1515.76 करोड है।

4- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम/स्पिनिंग/यार्न/संघ लि0, कानपुर के शासकीय एवं अशासकीय देयताओं के निस्तारण हेतु मदवार निम्नवत प्राविधान किया गया है:-

क्रमांक	मद	बजट व्यवस्था (रू0 लाख में)
1	उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ /उ0प्र0 स्टेट यार्न /उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग /वस्त्र निगम की मिलों की शासकीय देयताओं के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि का भुगतान	87818.00
2	उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कंपनी लि0 की रायबरेली, मऊनाथ भंजन तथा बाराबंकी इकाईयों पर दिनांक 01-04-2023 को बकाया ऋण (मूलधन) के अपलेखन हेतु अनुदान	19471.00
3	उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कंपनी लि0 को प्रदत्त अंशपूंजी के अपलेखन हेतु अनुदान	9324.00
4	उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ /उ0प्र0 स्टेट यार्न /वस्त्र निगम पर दिनांक 01-04-2023 को बकाया ऋण (मूलधन) तथा उनको प्रदत्त शासकीय अंशपूंजी के अपलेखन हेतु अनुदान	50000.00

5- उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर की इकाईयों की भूमि पर औद्योगिक आस्थान (एम0एस0एम0ई0 औद्योगिक पार्क) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश संख्या- 19/18-2099/97/2022/18-2-2023-30(2)/2021, दिनांक 13.03.2023 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश का प्रस्तर-5, 6 व 7 निम्नवत हैं:-

"5. कुल शासकीय देनदारियाँ लगभग रू0 329.49 करोड़ को ब्याज सहित माफ किये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त प्रश्नगत कताई मिल के निष्प्रयोज्य भूमि पर एम0एस0एम0ई0 औद्योगिक पार्क विकसित किया जायेगा।

6. शासकीय देनदारियों के अतिरिक्त अन्य देनदारियां लगभग रू0 22.14 करोड़ का भुगतान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जायेगा। जनपद रायबरेली एवं मऊनाथ भंजन (जनपद मऊ) स्थित स्पिनिंग मिलों की भूमि पर एम0एस0एम0ई0 औद्योगिक पार्क का विकास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा यूपीएसआईसी के माध्यम से कराया जायेगा। जनपद बाराबंकी में स्थित स्पिनिंग मिल की भूमि का विकास औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यूपीसीडा के माध्यम से कराया जायेगा।

पर्यावरण, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के मानकों/सुसंगत शासनादेशों/नियमों का पालन करते हुए उक्त विभागों के प्रचलित/ सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अधीन समस्त औपचारिकता पूर्ण करते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

7. उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0 की रायबरेली, बाराबंकी एवं मऊनाथ भंजन (मऊ) स्थित इकाईयों की परिसम्पत्तियों को जहां है जैसा है (As is where is) के आधार पर स्पिनिंग मिल द्वारा पुरानी मशीनरी/स्कैप आदि की बिक्री खुली नीलामी द्वारा की जायेगी एवं नीलामी के उपरान्त प्राप्त धनराशि नियमानुसार सरकारी खाते में जमा की जायेगी। नीलामी की प्रक्रिया प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0 के द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी।"

6- अवगत कराना है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 479/77-1-2020-11(विविध)/2017टीसी, दिनांक 19.11.2020 द्वारा सरकारी क्षेत्र के कताई/स्पिनिंग मिलों (उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0 एवं उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0) की भूमि को लैण्ड बैंक में लाने के लिये देयता के संबंध में ओ0टी0एस0 (एकमुश्त समाधान) की कार्यवाही किये जाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में निम्नवत समिति का गठन किया गया है:-

1	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3	संस्थागत वित्त विभाग से निदेशक स्तर के प्रतिनिधि	सदस्य
4	संबंधित निगम/मिलों के प्रबंध निदेशक	सदस्य/संयोजक

7- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम कानपुर पर बैंकों के बकाया देयों को एकमुश्त समाधान भुगतान हेतु संबंधित बैंकों/स्टेक होल्डर्स/वित्तीय संस्थाओं के साथ दिनांक 09.07.2023 एवं दिनांक 03.08.2023 को सम्पन्न बैठक में निम्नवत निर्णय लिये गये :-

<u>दिनांक 09.07.2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय-</u>

(1) बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि द्वारा मूल धनराशि रू0 01.44 करोड़ तथा उस पर वार्षिक 12% (साधारण ब्याज) की दर पर भुगतान हेतु सहमति प्रदान की गयी। उक्त सहमति के क्रम में प्रश्नगत धनराशि का ब्याज सहित भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(2) बैठक में उपस्थित कोटक महिन्द्र बैंक के प्रतिनिधि द्वारा मूल धनराशि रू0 06.54 करोड़ पर 12% (साधारण ब्याज) की दर पर भुगतान किये जाने के संबंध में सहमति/असहमति दिये जाने में स्वयं को सक्षम नहीं बताया गया। उक्त के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत धनराशि का 12% (साधारण ब्याज) की दर पर यदि बैंक द्वारा भुगतान किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है तो प्रश्नगत धनराशि का ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा, क्योंकि अन्य बैंकों द्वारा 12% (साधारण ब्याज) की दर पर भुगतान हेतु सहमति प्रदान की गयी है।

(3) सिण्डीकेट बैंक (वर्तमान में केनरा बैंक) के प्रतिनिधि द्वारा मूल धनराशि रू0 06.82 करोड़ तथा उस पर वार्षिक 12% (साधारण ब्याज) की दर पर भुगतान हेतु सहमति प्रदान की गयी। उक्त सहमति के क्रम में प्रश्नगत धनराशि का ब्याज सहित भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(4) बैठक में इन्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा एसाइन किये गये (Assets Reconstruction Company (India) Ltd., के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए, अतएव प्रकरण को आस्थगित किया जाता है।

समिति के उपरोक्त निर्णय के उपरान्त उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि० को विवाद रहित देयताओं के भुगतान हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 7556.00 लाख, उ०प्र० स्टेट यार्न कं.लि. को विवाद रहित देयताओं के भुगतान हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू० 2213.00 लाख तथा उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लि0 को विवाद रहित देयताओं के भुगतान हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 6261.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 16030.00 लाख (रूपया एक अरब साठ करोड तीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव प्रबंध निदेशक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०/उ०प्र० स्टेट यार्न कं.लि./उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया।

<u>दिनांक 03.08.2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय-</u>

उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर के बाण्डधारक से संबंधित सिविल अपील संख्या- 6127/2008, उ0प्र0 राज्य बनाम हिन्दुस्तान यूनीलीवर्स लि0 व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2008 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

7. In the circumstances, we are of the view that the State Government should pay the interest also. However, on the facts and circumstances, we are of the view that interest should be paid at the rate of 14.9% p.a. for a period of five years from the date of deposit and thereafter at the rate of 9.5% per annum (which is equal to the minimum rate of interest that is payable by the first respondent to its workers on the provident fund dues). The above concession regarding interest is granted on the peculiar facts of these appeals. Three months' time is granted to the Government of Uttar Pradesh to pay the balance of interest.

8. Appeals are disposed of accordingly. Parties to bear their respective costs.

अतएव उक्त के दृष्टिगत बाण्डधारकों के संबंध में जिन बाण्डधारकों द्वारा मूल धनराशि के परिपक्व होने तक प्रतिबद्ध ब्याज दर तथा उसके बाद की अवधि के संबंध में 9.50% की दर से भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान की गई है, उन बाण्डधारकों का भुगतान किया जाना समीचीन होगा। तत्क्रम में बाण्डधारकों के बकाये के भुगतान हेतु निम्नवत निर्णय लिये गये :-

"**5-** उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0 कानपुर के 05 बाण्डधारकों में से एअर फ्रान्स लोकल स्टाफ प्राविडेन्ट फण्ड एवं केयर इण्डिया इम्प्लाइज प्रोविडेन्ट फण्ड के संबंध में अवगत कराया गया कि इनसे सम्पर्क नहीं हो पा रहा है तथा उडीसा रूरल हाउसिंग एण्ड डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस संबंध में उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उडीसा रूरल हाउसिंग एण्ड डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा मूल धनराशि दिये जाने का अनुरोध किया गया , ब्याज के संबंध में अवगत कराया गया कि राज्य सरकार के स्तर पर अभी इस पर मत स्थिर नहीं हो पाया है। अतएव उक्त को छोडते हुए शेष बाण्डधारकों- बीईएस एण्ड टी अन्डरटेकिंग प्राविडेन्ट फण्ड, भेल इपीएफ ट्रस्ट झांसी द्वारा मूल धनराशि के परिपक्व होने तक प्रतिबद्ध ब्याज दर तथा उसके बाद की अवधि के संबंध में 9.50% की दर पर भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान की गई। उडीसा रूरल हाउसिंग एण्ड डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन को मूल धनराशि दिये जाने के निर्देश दिये गये।

6- उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0 के बाण्डधारकों के संबंध में मत स्थिर किया गया कि जिन बाण्डधारकों द्वारा मूल धनराशि के परिपक्व होने तक प्रतिबद्ध ब्याज दर तथा उसके बाद की अवधि के संबंध में 9.50% की दर से भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान की जायेगी, उन बाण्डधारकों का भुगतान किया जायेगा।

7- समस्त कंपनियों के विद्युत देयताओं के संबंध में बकाये मूल धनराशि का भुगतान किये जाने का मत स्थिर किया गया।

8- शासकीय संस्थाओं की देयताओं के संबंध में नोएडा अथारिटी एवं यूपीएसआईडीसी के प्रतिनिधि द्वारा मूल धनराशि एवं 9.50% ब्याज पर भुगतान किये जाने के संबंध में सहमति प्रदान की गई।

9- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को अपनी देयताओं के संबंध में जानकारी नहीं थी, उक्त के दृष्टिगत संबंधित प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

10- कर्मचारी राज्य बीमा निगम की देयताओं के संबंध में मूल धनराशि एवं ब्याज के साथ भुगतान किये जाने का मत स्थिर किया गया।

11- नगर निगम की देयताओं के संबंध में बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा सिर्फ मूलधन की अदायगी पर अपनी सहमति प्रदान की गई।

12- बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि उपरोक्तानुसार भुगतान की कार्यवाही एक माह में सम्पन्न कर ली जाये।"

समिति के उपरोक्त निर्णय के उपरान्त उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि० को विवाद रहित देयताओं के भुगतान हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 15209.00 लाख, उ०प्र० स्टेट यार्न कं.लि. को विवाद रहित देयताओं के भुगतान हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू० 11836.00 लाख तथा उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लि0 को विवाद रहित देयताओं के भुगतान हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 6689.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 33734.00 लाख (रूपया तीन अरब सैंतीस करोड चौंतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव प्रबंध निदेशक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि०/उ०प्र० स्टेट यार्न कं.लि./उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लि0, कानपुर द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासकीय संस्थाओं की देयताओं के ब्याज की धनराशि को घटाते हुए उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ लि० को विवाद रहित देयताओं के भुगतान हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 14119.00 लाख, उ०प्र० स्टेट यार्न कं.लि. को विवाद रहित देयताओं के भुगतान हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू० 11222.00 लाख तथा उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लि0 को विवाद रहित देयताओं के भुगतान हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 3110.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 28451.00 लाख (रूपया दो अरब चौरासी करोड इक्यावन लाख मात्र) का भुगतान किया जाना है।

8- अतएव टैक्सफेड समूह की बन्द पडी कताई मिलों की भूमि के औद्योगिक प्रयोग के लिये देनदारियों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये है:-

(I) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कंपनी लि0 की रायबरेली, मऊनाथ भंजन तथा बाराबंकी इकाईयों पर दिनांक 01.04.2023 को बकाया ऋण (मूलधन) अनुदान रू0-19471.00 लाख एवं कंपनी को प्रदत्त अंशपूंजी के हेतु अनुदान रू0-9324.00 लाख के अपलेखन (write off) हेतु उक्त धनराशि निर्गत करते हुए कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज की धनराशि रू0 4154.00 लाख को माफ किया जाएगा।

(II) उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ/उ0प्र0 स्टेट यार्न/वस्त्र निगम पर दिनांक 01-04-2023 को बकाया ऋण (मूलधन) तथा उनको प्रदत्त शासकीय अंशपूंजी के अपलेखन हेतु अनुदान के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0-50000.00 लाख में से उ0प्र0 सहकारी

कताई मिल्स संघ लि०/उ०प्र० स्टेट यार्न कं.लि./ उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लि. की मिलों की शासकीय देयताओं के अपलेखन (write off) हेतु मूल धनराशि निर्गत करते हुए ब्याज माफ किया जाएगा। अवशेष धनराशि का अपलेखन (write off) बजट प्राविधान होने के उपरान्त किया जाएगा। ब्याज की गणना दिनांक 31.03.2023 तक की है, उक्त तीनों कंपनियों की शासकीय देयताओं एवं ब्याज का विवरण निम्नवत है:-

धनराशि (रू0 लाख में)

क्रमांक	कंपनी का नाम	शासकीय देयताएं	ब्याज
1	उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम	29711.00	13472.00
2	उ0प्र0 स्टेट यार्न कं0लि0	13485.00	1966.00
3	उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0	48163.00	4181.00
	योग	**91359.00**	**19619.00**

(III) अशासकीय देयताओं का ब्याज सहित भुगतान किये जाने के संबंध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा देनदारों के साथ किये गये निगोसियेशन प्रस्तर-7 के अनुसार कुल धनराशि रू0- 44481.00 लाख (दिनांक 31.03.2023 तक आगणित ब्याज सहित) का भुगतान किया जाएगा।

9- उपरोक्तानुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करते समय निम्नवत् शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये:-

(1) प्रकरण में राजस्व सम्बन्धी नियमों-अधिनियमों में दी गयी व्यवस्था तथा औद्योगिक विकास विभाग के सुसंगत नियमों तथा विधि व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) टैक्सफेड समूह की बन्द पड़ी कताई मिलों में प्राधिकरण/नजूल/इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की निहित भूमि को छोड़ कर अन्य भूमि औद्योगिक प्रयोग के लिए प्रयुक्त की जायेगी।

(3) राज्य कर आस्थगन पर ब्याज की धनराशि की माफी हेतु पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

(4) शासकीय संस्थाओं की उपरोल्लिखित देयताओं में विद्युत देयताओं एवं नगर निगम की देयताओं के सम्बन्ध में मूलधन की ही अदायगी किये जाने हेतु मत स्थिर किया गया है। इसी भांति शासकीय संस्थाओं की देयताओं के सम्बन्ध में राज्य की अन्य संस्थाओं यथा नोयडा प्राधिकरण, यू.पी.एस.टी.सी., यू.पी.एस.एस.टी., यू.पी.एस.वाई.सी., यू.पी.एस.टी.सी. आदि संस्थाओं की देयताओं को मूलधन की ही अदायगी की जाएगी।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Negotiation के क्रम में भुगतान से पूर्व बैंकों तथा बाण्ड होल्डर्स संस्थाओं/कम्पनियों के सक्षम स्तर से अनुमोदित/स्वीकृत सहमति पत्र प्राप्त हो गयी है।

(6) प्रश्नगत शासकीय एवं अशासकीय देयताओं सम्बन्धी अन्तिमीकृत धनराशि के सम्बन्ध में Book of Accounts/financial Statements आदि के माध्यम से

संतुष्ट होते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि इस सम्बन्ध में due diligence कर लिया गया है।

(7) अशासकीय देयताओं के सम्बन्ध में विभिन्न stakeholders को किये जाने वाले भुगतान के पूर्व यदि प्रकरण न्यायालय/ट्रिब्यूनल आदि में है तो सम्बन्धित द्वारा वापस ले लिया जाये तथा जो सम्पत्ति liquidation में है उसे प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्तानुसार की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां संगत अधिनियम/नियम/विनियम/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है तथा इनमें कोई विधिक अड़चन नहीं है।

10- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये उपरोक्त निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक : यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय तथा आडिट (प्रथम /द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग /राजस्व विभाग /आवास एवं शहरी नियोजन विभाग /राज्य कर विभाग /सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग /नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू०पी० सीडा, कानपुर।
8. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
9. जिलाधिकारी, झांसी /हरदोई /मेरठ /प्रयागराज /बांदा /बलिया /अमरोहा /बरेली /गाजीपुर /फतेहपुर /सीतापुर / बिजनौर /संत कबीर नगर /फर्रूखाबाद /इटावा।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनीता चौधरी)
अनुसचिव।